न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) सिणधरी

पीठासीन अधिकारी : श्री सर्वेश्वर निम्बार्क ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 234/2022

प्रार्थी	बनाम	विप्राथीगण
निम्बाराम पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी कागो की ढाणी तहसील सिणधरी		1. कोजाराम पुत्र राउराम जाति सुथार 2. दलू पुत्री लाधाराम जाति जाट निवासी कागो की ढाणी, तहसील सिणधरी 3. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, आर.टी एक्ट 1955

उपस्थित–

1. श्री जोगराज पोटलिया, वकील प्रार्थी की ओर से।
2. श्री रामजीवन विशनोई ,वकील विप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।
3. विप्रार्थी सं. 3 के पैरोकार उप.। शेष एकतरफा।

आदेश

दिनांक– 18.02.2026

1.संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है। कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 362/1 (बाद विभाजन खसरा संख्या 611/362 कायम) रकबा 7.8149 हैक्टयर ग्राम कागो की ढाणी तहसील सिणधरी में अवस्थित है। जिसमें प्रार्थी की रहवास ढाणी, टांका व मवेशियो के बाड़े इत्यादि बने हुए है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थीगण की खसरा संख्या 362 रकबा 7.8149 हैक्टयर भूमि आये हुए है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थी स.1 से 2 की उक्त खसरो में से होकर गुजरना पड़ता है। विप्रार्थीगण उक्त रास्ते की भूमि पर काश्त कर इसे अवरूद्व कर देते है। जिससे प्रार्थी को सड़क तक आने जाने मे समस्या आती है। इस कारण प्रार्थी को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है,और उक्त प्रस्तावित

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

ास्ता ही प्रार्थी के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थी को आत्यन्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थी ने ग्राम कागो की ढाणी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 362 भूमि में होकर गुजरते हुए रास्ते के रूप में प्रयुक्त हो रही भूमि का राजस्व रिकार्ड मे सरकारी खाते मे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड ए.डी.नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री रामजीवन विशनोई द्वारा वकालतनामा पेश किया गया, परन्तु अपनी ओर से मौखिक कथन प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार जमीन के बदले जमीन दिये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की।

3.उभयपक्ष की बहस सुनी गई थी। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस की थी,कि

प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 362/1 रकबा 7.8149 हैक्टयर ग्राम कागो की ढाणी तहसील सिणधरी में अवस्थित है। जिसमें प्रार्थी की रहवास ढाणी, टांका व मवेशियो के बाड़े इत्यादि बने हुए है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थीगण की खसरा संख्या 362 (बाद विभाजन खसरा संख्या 611/362 कायम) रकबा 7.8149 हैक्टयर भूमि आये हुए है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थी स.1 से 2 की उक्त खसरो में से होकर गुजरना पड़ता है। विप्रार्थीगण उक्त रास्ते की भूमि पर काश्त कर इसे अवरूद्व कर देते है। जिससे प्रार्थी को सड़क तक आने जाने मे समस्या आती है। इस कारण प्रार्थी को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है,और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थी के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थी को आत्यन्तिक आवश्यकता है। आगे ओर कथन किया कि तहसीलदार सिणधरी की प्राप्त मौका रिर्पोट पत्रांक 3301 दिनांक 09.12.2025 के अनुसार आवागमन हेतु सबसे निकटत्तम रास्ता पड़ौसी खसरा सख्या 611/362 में से सलग्न नक्शे में बरंग दर्शाये अनुसार है। प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं हैं। प्रस्तावित रास्ता मौके पर खाली है एवं किसी प्रकार को कोई निर्माण/अतिक्रमण नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की नितान्त आवश्यकता है। सभी विकल्पों पर गौर करने के उपरान्त संलग्न नक्शे में हरा रंग से दर्शाये अनुसार रास्ता प्रस्तावित किया गया है। प्रार्थी ने अपनी दलील में यह भी कथन किया कि प्रार्थी के आवागमन को देखते हुए प्रस्तावित कटाण मार्ग की क्षतिपूर्ति हेतु खसरा संख्या 611/362 के लगते हुए प्रार्थी के खसरा संख्या 362/1 में भूमि के बदले भूमि दिये जाने को तैयार है। साथ ही कथन किया कि प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

द्वारा प्रस्तावित भूमि के सन्दर्भ में प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार मौके पर सड़क मार्ग के रूप में कटाण मार्ग एवं वर्तमान में निर्मित सड़क मार्ग में अन्तर है, जहां पर सड़क मार्ग कटाण है वह परिक्षेत्र अधिक दूरी का है तथा जहां पर सड़क मार्ग निर्मित है वह अपेक्षाकृत कम दूरी का है, ऐसी स्थिति में भूमि के बदले भूमि दिये जाने में सड़क मार्ग की वास्तविक निर्माण की स्थिति के अनुसार गणना करते हुए भूमि के बदले भूमि परिवर्तित किये जाने के आदेश पारित किये जावे।

4. इसके विपरीत वकील विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की इस्तदुआ ओर प्राप्त मौका रिपौर्ट अनुसार भूमि के बदले भूमि दिये जाने में अपनी सहमति व्यक्त करते हुए तद्नुसार आदेश जारी करने का निवेदन किया।

5.हमनें दोनो पक्षो के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया और पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकार्ड एवं मौका रिर्पोट का अवलोकन किया और विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी की ओर से अपनी खातेदारी खेत मौजा कागो की ढाणी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 362/1 से होकर मुख्य सड़क तक पंहुचने के लिए खेत खसरा संख्या 611/362 में रास्ता चाहा गया है, जहां तक अधिनियम की मंशा के तहत प्रार्थी को रास्ते की नितान्तः आवश्यकता होने से रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत है, परन्तु सलंग्न नजरी नक्शे के सन्दर्भ में प्रार्थी वकील द्वारा दी गई दलील से स्पष्ट है कि सड़क मार्ग के कटाण एवं वास्तविक निर्माण स्थल के मौका कब्जा में भिन्ता है ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया खसरा संख्या 611/362 से लगती हुई सीमा पर निर्मित सड़क मार्ग की वास्तविक कब्जा स्थिति की दूरी की गणना करते हुए बरंग हरा– कलर से प्रस्तावित भू–भाग की भूमि को रास्ते के रूप में दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। जिसकी ताईद प्रार्थी स्वयं द्वारा अपनी बहस के तथ्यों में की है। चूंकि समस्त पक्षकारान एक ही वर्ण वर्ग से होने से भूमि के बदले भूमि का निर्धारण किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

6.लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम कागों की ढाणी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 362/1 के खातेदारान के आवागमन हेतु रास्ते के रूप में खसरा संख्या 611/362 में से प्रस्तावित भूमि सड़क सीमा की वास्तविक कब्जा स्थिति के अनुरूप लम्बाई के अनुपातिक तौर पर 6 मीटर चौड़ा मार्ग भूमि के परिमाप की गणना अनुसार सकल रकबा खसरा संख्या 362/1 से कम करते हुए खसरा संख्या 611/362 के खातेदारान को उसके खेत के लगती हुई सीमा (सलंग्न नक्शा अनुसार बरंग–बैंगनी) पर खातेदारी में अमल दरामद के साथ मौका रिपोर्ट के सलंग्न दर्शित नक्शे में बरंग हरा ———दरसाये परिक्षेत्र अनुसार रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार सिणधरी को उपरोक्तानुसार में प्रस्तावित रकबानुसार रास्ते

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

के उपयोग में आने वाली भूमि का राजकीय खाते मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिणधरी के पत्र कमांकःभू.अ./ 2025/3301 दिनांक 09.12.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के सलंग्न नक्शा उक्त आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

(सर्वेश्वर निम्बार्क)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 18.02.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी